



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या – 4957 वर्ष 2026

बबलू उर्फ नरेन्द्र बहादुर वर्मा एवं 3 अन्य

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव गृह विभाग,

लखनऊ एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता

: फारूख अयूब

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या –16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

अधिवक्ता श्री मो. अशरफ ने विपक्षी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है और इसे अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मो. अशरफ को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से, प्रार्थियों ने विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, बाराबंकी द्वारा वाद संख्या 520/2020 (राज्य बनाम लाल बहादुर व अन्य) में पारित दिनांक 15.07.2020 के तलबी आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को धारा 147, 323, 504,

506, 427 भा.द.सं. एवं 3(1) द, ध, 3(2)(5 क) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अंतर्गत विचारण का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सामना करने हेतु तलब किया गया है, तथा थाना लोनीकटरा, जिला बाराबंकी के अपराध संख्या 158/2019 में जांच अधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य के प्रस्तुत आरोप पत्र संख्या 161/2019 दिनांक 02.07.2019 को भी चुनौती दी गई है।

प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कुछ गलतफहमी के कारण उक्त प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और तत्पश्चात, पक्षों ने बैठकर अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, जिसे दिनांक 03.09.2025 के समझौता विलेख के रूप में लिखित रूप दिया गया है। अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि अब पक्षों ने समझौता विलेख निष्पादित कर अपने सभी विवादों को समाप्त कर लिया है और इस प्रकार वर्तमान प्रार्थियों के विरुद्ध आगे की आपराधिक कार्यवाही एक निरर्थक कवायद होगी और यह उत्पीड़न के समान होगा।

अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.04.2026 के आदेश द्वारा मामले को आवेदन धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता संख्या 2840 वर्ष 2026 में समझौता सत्यापन हेतु संदर्भित किया था और उक्त आदेश के अनुपालन में, दोनों पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा दिनांक 03.09.2025 का समझौता विलेख सभी संबंधित पक्षों की उपस्थिति में सत्यापित किया गया और विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2026 को सत्यापन का आदेश पारित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि अब पक्षों के बीच समझौता हो गया है, और इस प्रकार प्रार्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।

दूसरी ओर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान् अधिवक्ता ने भी प्रार्थियों के पक्ष का समर्थन किया है और तर्क दिया है कि पक्षों ने समझौता विलेख निष्पादित कर लिया है और अब पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है, अतः आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के उक्त तर्कों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षों के बीच दिनांक 03.09.2025 को समझौता हुआ है और उक्त समझौता दिनांक 15.05.2026 को सत्यापित किया गया है, और अब, पक्षों के अधिवक्ताओं के कथनानुसार, वे प्रार्थियों के विरुद्ध उक्त आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि प्रार्थियों और विपक्षियों ने दिनांक 03.09.2025 को समझौता कर लिया है और अब कोई शिकायत शेष नहीं है, अतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य (2003) 4 एससीसी 675; निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2008) 9 एससीसी 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य व अन्य (2008) 16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303; तथा नरिंदर सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466 में प्रतिपादित निर्णयों के आलोक में उक्त आपराधिक मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप, वाद संख्या 520/2020 (राज्य बनाम लाल बहादुर व अन्य) में प्रार्थियों के विरुद्ध संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ताओं को धारा 147, 323, 504, 506, 427 भा.द.सं. एवं 3(1) (द), (ध), 3(2)(5 क) अ.जा./अ.ज.जा. अधिनियम के अंतर्गत विचारण का सामना करने हेतु समन किया गया है, तथा अपराध संख्या 158/2019, धारा 147, 323, 504, 506, 427 भा.द.सं. एवं 3(1) (द), (ध), 3(2)(5 क) अ.जा./अ.ज.जा. अधिनियम, थाना-लोनीकटरा, जिला-बाराबंकी के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य के प्रस्तुत आरोप पत्र संख्या 161/2019 दिनांक 02.07.2019 के विरुद्ध कार्यवाही को एतद्वारा **निरस्त** किया जाता है।

समझौता विलेख इस आदेश का भाग होगा।

तदनुसार आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिणाम तदनुसार होंगे।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

30 जून, 2026

एकेएस

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।